भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 912

जिसका उत्तर दिनांक 8 अगस्त, 2013 को दिया जाना है।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा भुगतान

912. श्री अवतार सिंह भडाना:

श्री रामसिंह राठवा:

श्री संजय धोत्रे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल) केबल विनिर्माण करने वाले लघु उद्योगों (एसएसआई) का मनमाने तरीके से भुगतान रोककर अनुचित व्यापार संव्यवहार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केबल विनिर्माताओं को दिए गए खरीद आदेश की शर्तों के अनुसार भुगतान "बैक-टू-बैक" आधार पर अर्थात् ग्राहकों से भुगतान प्राप्त होने पर भुगतान जारी करने का था;

(घ) यदि हां, तो आईएल द्वारा खरीद आदेशों की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के क्या कारण हैं, जिनके परिणामस्वरूप केबल विनिर्माताओं को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ड़) एसएसआई यूनिटों वाले केबल विनिर्माताओं का भुगतान तत्काल जारी करने के लिए आईएल द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क) और (ख) : जी, नहीं। कंपनी की रुग्णता तथा संशोधित पुनरुद्धार योजना के आंशिक कार्यान्वयन के कारण समय और लागत बढने की वजह से कंपनी को भारी वित्तीय संकट और निधि की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। निधि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए जानबूझकर नहीं किया गया है, बल्कि महत्वपूर्ण अनिवार्य वित्तीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाने के लिए किया गया है।

(ग) और (घ) : कुछ खरीद आदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को "बैक टू बैक" आधार पर भुगतान करने की शर्तें हैं। तथापि, जैसा उपर्युक्त (क) पर स्प्ष्ट किया गया है, निधियों की अत्यधिक कमी के कारण भुगतान जारी नहीं किया जा सका।

(ड़.) : निधियों की उपलब्धता की शर्त के अधीन सभी देय भुगतान जारी करने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं।

*****